TO BE PUBLISHED IN PART –IV ORDINARY OF THE DELHI GAZETTE

GOVT. OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(DEPARTMENT OF COOPERATIVE)

OFFICE OF THE REGISTRAR COOP. SOCIETIES

PARLIAMENT STREET: NEW DELHI

No.F.47/1255/NW/GH/RCS/2013 17-07

Dated: 06 6113

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by Section 127 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003(Delhi Act 3 of 2004) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the **Quetta Cooperative Group Housing Society Ltd (1255/GH)** from the provisions of Section 37 (1)(b) of Delhi Co-operative Societies Act, 2003(Delhi Act 3 of 2004) and accordingly extend the period of supercession of the Managing Committee and the term of the Administrator of the said society upto 31.07.2013 or till the democratic setup of the society is restored whichever is earlier.

By order and in the name of The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(VISHVA MOHAN)

ADDL. SECRETARY COOP. SOCIETIES

(दिल्ली राजपत्र साधारण के भाग-४ में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, सहकारिता विभाग संसद मार्ग, नई दिल्ली—११०००१

संख्या : फा॰ ४७/१२५५/उत्तर पश्चिम/गृह आवास/२०१३ 17-09 दिनांक 06 6113

अधिसूचना

दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम २००३ की धारा १२७; (दिल्ली अधिनियम - ३, २००४) द्वारा प्रदत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, क्वेटा सहकारी गृह आवास समिति (१२५५ /स॰आ॰) धारा ३७(१)(ख) दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम २००३; (दिल्ली अधिनियम – ३, २००४) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते है, तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्य काल की अवधि दिनांक ३१.०७.२०१३ अथवा लोकतात्रिक व्यवस्था बहाल होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है !

> दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर

> > AFQ NEd

(विश्व मोहन)

अतिरिक्त सचिव (सहकारिता)